rajasthanpatrika.com
राजस्थान पत्रिका . जोधपुर .शुक्रवार. 13.10.2017

ई-नीलामी में उलझे माइनिंग ब्लॉक के आवंटन पर अंतरिम रोक

जोधपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट में न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने नागौर जिले में हरिमा पीथासर के पास एक लाइम स्टोन के माईनिंग ब्लॉक को ई नीलामी में एमएसटीसी की ओर से 29 सितंबर 2017 को किए गए आवंटन सम्बन्धी आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता जेएसडब्लयू सीमेंट कंपनी की ओर से दायर याचिका में उक्त ई-नीलामी में हुए विवाद के मद्देनजर एमएसटीसी सहित अंबुजा सीमेंट आदि को नोटिस जारी कर 14 नवंबर 2017 तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता जेएसडब्ल्यू की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रमित मेहता व सौरभ माहेश्वरी ने कहा कि आजकल माइनिंग ब्लॉक के आंवटन के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उक्त माइनिंग ब्लॉक 3 डी 1 के आवंटन के लिए तीन बिडर्स का चयन किया गया। इसमें 26 सितंबर को हुई नीलामी में अडानी, अंबुजा व जिंदल समूह के जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी का नाम शामिल था। तीनों ने नीलामी में भाग लिया, लेकिन अंतिम 8 मिनट में वेबसाइट में खराबी आने से याचिकाकर्ता ऊंची बोली नहीं लगा सका। ब्लॉक का आवंटन 41.60 प्रतिशत बोली को उच्चतम बताते हुए अंबुजा सीमेंट को कर दिया गया। उन्होंने तुरंत वेबसाइट पर खराबी बताते हुए नीलामी रोकने की भी अपील की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। जेएसडब्ल्यू की ओर से कहा कि कम्पनी 50 प्रतिशत तक बोली लगाने को तैयार थी। इससे सरकार को 50 वर्ष की लीज में कम से कम 800 करोड़ का लाभ होता।

दैनिक भास्कर
जोधपुर, शुक्रवार 13 अक्टूबर, 2017 | 10

अंबुजा सीमेंट को आवंटित की जा रही माइनिंग लीज पर अंतरिम रोक

सरकार को 800 करोड़ के नुकसान का आरोप

लीगल रिपोर्टर | जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए अंबुजा सीमेंट को आवंटित की जा रही माइनिंग लीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, खनिज विभाग व अंबुजा सीमेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता जिंदल ग्रुप के जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता व सौरभ माहेश्वरी की ओर से रिट दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि सरकार ने नागौर जिले के हरिमा गांव में 4 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित माइनिंग ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के लिए बिड मांगी थी। इसके लिए अडाणी ग्रुप, अंबुजा सीमेंट तथा जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने आवेदन किया। यह माइनिंग लीज 50 साल के लिए दी जानी है तथा इससे 200 मिलियन टन लाइम स्टोन का खनन किया जा सकेगा। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 26 सितंबर को ऑनलाइन ऑक्शन के समय अंबुजा ने बोली लगाई व उसकी बोली स्वीकार हो गई। इस बीच याचिकाकर्ता बोली को बढ़ाने को तैयार था कि तकनीकी फॉल्ट की वजह से बोली को बढ़ा नहीं पाया। सरकार ने अंबुजा सीमेंट को उच्च बोलीदाता मानते हुए डिक्लेरेशन कर दिया व माइनिंग लीज आवंटित करने की तैयारी कर ली।